



कार्यालय: राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन नं०-834001

E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक:- 2627 /

दिनांक:- 27/09/2018

बन्दोंबस्ती सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राँची नगर निगम नियंत्रणाधीन निम्नांकित तालाबों/जलाशय के रख-रखाव एवं मछली पालन हेतु तीन वर्षों (01.11.2018 से 31.10.2021 तक) के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 23.10.2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी एवं दिनांक 24.10.2018 को अपराह्न 4.00 बजे प्राप्त निविदाओं का निष्पादन खुली डक के द्वारा किया जायेगा एवं अधिकतम बोली वाले के साथ तालाब/जलाशय की बन्दोंबस्ती की जायेगी। तालाबों की बन्दोंबस्ती हेतु सुरक्षित राशि एवं जमानत की राशि निम्नवत् है।


क्रम सं०	तालाब का नाम	बन्दोंबस्ती की सुरक्षित राशि प्रतिवर्ष रू० में	जमानत की राशि (सुरक्षित राशि का 25%)
1	अरगोड़ा तालाब	50000	12500
2	दिब्यायन तालाब	25000	6250
3	हातमा बस्ती तालाब	25000	6250
4	मधुकम तालाब	25000	6250
5	तेतर टोली तालाब	25000	6250
6	धुमसा टोली (घासी) तालाब	25000	6250
7	कडरू तालाब	25000	6250
8	बनस तालाब	25000	6250
9	कांके जलाशय	100000	25000

नोट -1. आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2018 से 15.10.2018 तक किसी भी कार्य दिवस में अपराह्न 2.00 बजे तक 500 रू० जमा कर निगम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

बन्दोंबस्ती के नियम एवं शर्तें निगम वेब-साईट www.ranchimunicipal.com पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

(Handwritten signature)
27/09/18

नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।





कार्यालय रांची नगर निगम, रांची। बन्दोबस्ती की शर्तें।

- 1 आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2018 से 15.10.2018 तक 500/-रु० जमा कर बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
- 2 बन्दोबस्ती 03 वर्ष 01.11.2018 से 31.10.2021 तक के लिए होगी। बन्दोबस्ती राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भुगतान करना होगा।
- 3 निर्धारित वार्षिक सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया जायेगा।
- 4 निविदा में भाग लेने के वाले इच्छुक निविदादाता को जमानत की राशि के रूप में तालाब के नाम के सामने उल्लेखित जमानत की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, रांची नगर निगम रांची के नाम से देय) जमा करना होगा। असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।
- 5 संवेदक का सहकारिता/उप सहकारिता विभाग से निबंधन/प्रशिक्षित होना आवश्यक है।
- 6 संवेदक का किसी प्रकार का कोई बकाया निगम कार्यालय या अन्य किसी कार्यालय में नहीं है शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें।
- 7 संवेदक को सरकारी संस्था मत्स्य/अर्ध सरकारी संस्था एवं निगम के द्वारा काली सूची/रद्द कि सूची में नहीं डाले जाने संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8 उच्चतम डाक की राशि में जमानत की राशि समायोजित की जायेगी।
- 9 डाक राशि जमा नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10 बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।
- 11 एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः खुला डाक किया जायेगा।
- 12 उच्चतम डाक वक्ता को मतस्य बीज की प्राप्ति का श्रोत से अवगत कराना होगा।
- 13 तालाब एवं इसके आस-पास क्षेत्रों में निर्मित संरचना का रख-रखाव एवं साफ-सफाई की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी/सहयोग समिति की होगी।
- 14 यह हर संभव प्रयास किया जायेगा कि तालाब प्रदुषित नहीं हो। प्रदुषित पाये जाने पर नगर आयुक्त को जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
- 15 तालाब में आयोजित होने वाली पर्व-त्योहार को बाधित नहीं किया जाय।
- 16 किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

सहायक नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

